

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 33/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 576(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 158क और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, "लेखा संकलक" को ऐसे तंत्र के रूप में अधिसूचित करती है जिससे केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 158क के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना साझी की जा सकेगी।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "लेखा संकलक" से कोई ऐसी गैर-वित्तीय बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45जक के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पॉलीसी निदेशों के अनुसार किसी लेखा संकलक का कारबार करती है और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी- लेखा संकलक (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथापरिभाषित है

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

आलोक कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 33/2023 – Central Tax

G.S.R. 576(E).—In exercise of the powers conferred by section 158A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies "Account Aggregator" as the systems with which information may be shared by the common portal based on consent under Section 158A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

Explanation: For the purpose of this notification, "Account Aggregator" means a non-financial banking company which undertakes the business of an Account Aggregator in accordance with the policy directions issued by the Reserve Bank of India under section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and defined as such in the Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016.

[F. No. CBIC-20006/20/2023-GST]

ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 34/2023-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 577(अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने की आवश्यकता होती है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त, कुल आवर्त से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर एक आपूर्तिकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायित्व के अधीन है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात् :-

- (i) ऐसे व्यक्ति माल की कोई अन्तरराज्यीय आपूर्ति नहीं करेंगे ;
- (ii) ऐसे व्यक्ति एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अधिक में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की आपूर्ति नहीं करेंगे;